

## न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 71 / 2013—14

अन्तर्गत धारा—333 जं0वि0अधि0

1— रमेश, 2. बाबूराम पुत्र रिसाल्ला, निवासीगण—भगवानपुर जदीद मुस्तहकम तहसील रुड़की जिला हरिद्वार।

### बनाम

1. ग्राम सभा भगवानपुर, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता।

### निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रुड़की जनपद हरिद्वार द्वारा वाद संख्या—46 / 13—14 ग्राम सभा बनाम रमेश आदि अन्तर्गत नियम—176क (2) जं0वि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम नियमावली के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29—01—2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है:—

निगरानीकर्तागण भूमि खसरा संख्या—47क / 0.3893 • हे0 व खसरा संख्या—512 / 0.2458 हे0 ग्राम भगवानपुर जदीद मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार के आसामी आवंटी थे। स्वीकार्य रूप से भूमि प्रबंधन समिति भगवानपुर के प्रस्ताव दिनांक 31—01—1976 के अनुसार निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि का आसामी पट्टा आंवटित किया गया। निगरानीकर्तागण उक्त आंवटन के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर अध्यासित रहे एवं कृषि कार्य करते रहे। वर्ष 2001 में तहसीलदार, रुड़की की आख्या पर कि प्रश्नगत आसामी पट्टे की अवधि 5 वर्ष की हो चुकी है पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रुड़की ने अपने आदेश दिनांक 23—04—2001 के अधीन उक्त आसामी पट्टों को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 23—12—2002 से प्रकरण प्रति प्रेषित करते हुए उसके विधिवत निर्स्तारण हेतु निर्देश पारित किया गया। प्रकरण के उक्तवत प्रतिप्रेषण के उपरान्त निगरानीकर्तागण/आसामी आंवटियों को विधिवत सुनवाई का

अवसर प्रदान किया गया एवं आलोच्य कार्यवाही का विधिवत परीक्षण कर विद्वान सहायक कलेक्टर, रुड़की ने आक्षेपित आदेश द्वारा आलोच्य आसामी पट्टा समाप्त होना पाया एवं निगरानीकर्तागण के पक्ष में तदनुसार वादग्रस्त भूमि की प्रविष्टि समाप्त कर ग्राम सभा के नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पत्र में तथ्यात्मक विवरण के अतिरिक्त ये तथ्य/तर्क प्रस्तुत किये गये कि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं उनके विवादित भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, कि आक्षेपित कार्यवाही नियम-176क (2) जं0वि0अधि0नियमावली के अन्तर्गत अधिकार के परे है क्योंकि निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा-148 (4) जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत अधिकार के परे है क्योंकि निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा-132 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि इस भूमि में पिछले 35 वर्षों से 2 फसलें बोई जा रही है, कि ये मान भी लिया जाए कि आसामी पट्टा वर्ष 1975 में आंवटित किया गया एवं उसकी अवधि नियम-176क (2) के अधीन 5 वर्ष होने के दृष्टिगत पट्टा 1980 में समाप्त हो चुका था तो भी ग्राम सभा धारा-122वी 4 एफ जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली नहीं कर सकती है क्योंकि निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, कि विवादित भूमि नदी की भूमि नहीं है एवं नदी खाले में नहीं रही है, कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि की परिभाषा धारा-212 से शासित है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखली की प्रक्रिया धारा-212क से शासित है तदनुसार आसामी को बेदखल कलेक्टर के समक्ष भूमि प्रबंधन समिति के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है, कि वर्ष 1980 के बाद 2001 के तक भूमि प्रबंधन समिति द्वारा कोई बेदखली का वाद योजित नहीं किया गया अतः निगरानीकर्तागण धारा-204 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि के असंक्रमणीय भूमिधर हो चुके हैं, कि आसामी पट्टा निरस्त करने का एकमात्र अधिकार धारा-198 (4) जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत कलेक्टर को है एवं कि भूमि प्रबंधन समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

मैंने निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का अध्ययन किया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी पत्र के कथनों को ही संक्षेप में दोहराया है जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि आसामी पट्टे की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पट्टा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आक्षेपित आदेश पट्टा समाप्ति का मात्र एक औपचारिक तथ्यांकन है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक भूमि है क्योंकि सम्बन्धित भूमि प्रबंधक समिति ने धारा-132 जं0वि0अधि0 से आच्छादित भूमि पर आसामी पट्टे के आंवटन का प्रस्ताव किया था।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रुड़की ने विद्वान आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा प्रकरण प्रति प्रेषित करने के उपरान्त निगरानीकर्तागणों को समुचित

सुनवाई का अवसर प्रदान कर कार्यवाही का पूर्ण परीक्षण सम्पादित कर ही आक्षेपित आदेश पारित किया है।


भू-धारकों की श्रेणी में से आसामी श्रेणी धारा-133 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आती है। निगरानीकर्तागण को वर्ष 1976 में आसामी पट्टा रखीकृत किये जाने के दृष्टिगत वे अधिनियम की धारा-133ग के अन्तर्गत आते हैं एवं धारा-133ग के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें निहितन की तिथि (date of vesting) से भूमि प्रबंधन समिति ने धारा-132 में वर्णित भूमि को पट्टे पर उठा दी हो। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि धारा-132 से आच्छादित है एवं ऐसी भूमि पर भूमिधरी अधिकार परिपक्व हो ही नहीं सकते हैं। धारा-133 के अधीन भूमि को पट्टे पर उठाने की व्यवस्था धारा-197 एवं 198 ज0वि0अधि0 में वर्णित है। अधिनियम की धारा-197(2) जं0वि0अधि0 यह स्पष्ट करती है, कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य प्राविधानों के उपरान्त भी किसी व्यक्ति को तालाब, पोखर व अन्य भूमि जो जलमग्न हो को आसामी पट्टा दिये जाने का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों से शासित एवं नियंत्रित होगा। जं0वि0नियमावली का नियम-176क (1) का परन्तुक यह स्पष्ट करता है, कि किसी आसामी को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा नहीं दिया जायेगा। अधिनियम एवं नियमों की उक्त स्थिति के दृष्टिगत यह मान भी लिया जाए कि मूल आसामी पट्टों में 5 वर्ष की अवधि अथवा कोई अवधि अंकित ही नहीं थी तो भी स्पष्ट विधिक स्थिति के दृष्टिगत पट्टा 5 वर्ष की अवधि पर स्वतः ही समाप्त हो गया। यही नहीं नियम-176क (2) यह स्पष्ट करता है कि प्रभारी सहायक कलेक्टर के लिए यह विधि मान्य होगा कि वह किसी भी समय किसी भी आसामी के पक्ष में पट्टे को समाप्त कर दे और इस प्रकार पट्टा समाप्त किये जाने पर आसामी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आलोच्य प्रकरण में विद्वान सहायक कलेक्टर, रुड़की ने धारा-176क के अन्तर्गत पट्टा का समापन किया है। यूं तो पट्टे 5 वर्ष के उपरान्त स्वतः ही समाप्त हो गये। इस तथ्य का यथासमय अंकन मम्त्र ही पर्याप्त होता परन्तु ऐसा करने में विलम्ब किये जाने के दृष्टिगत निगरानीकर्तागण को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है, क्षेत्राधिकारयुक्त है एवं किसी तात्त्विक त्रुटि अथवा दोष से ग्रस्त नहीं है।

जंहा तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है एवं द्विफसली भूमि है का प्रश्न है धारा-132 की ही भूमि आंकित होने के दृष्टिगत विद्वान अधिवक्ता का तर्क अमान्य है। निगरानीकर्तागण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कुछ वर्ष दो फसलें उगाने से इस भूमि की प्रकृति नहीं परिवर्तित होती है। मानसून के विफल होने पर खरीफ की फसलें उगाई जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में खतौनी की प्रविष्टि निर्णायक है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्तागण द्वारा आसामी पट्टा प्राप्त किया गया है जिसकी प्रकृति अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में अब उनका प्रतिकूल कथन विधितः अमान्य है। आसामी पट्टा धारा-133ग ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत होने के दृष्टिगत यथापूर्व उल्लेखित धारा-132 से आच्छादित भूमि के सम्बन्ध में ही है अतः उनका यह तर्क कि 122वीं 4एफ

जं०वि०अधि० अथवा प्रश्नगत भूमि के धारा-212 जं०वि०अधि० से आच्छादित होने का तर्क निर्मूल है क्योंकि निगरानीकर्तागण भूमि प्रबंधक समिति के आसामी आंवटी है। जहां तक विद्वान् अधिवक्ता के बेदखली सम्बन्धी तर्क का प्रश्न है वर्तमान निगरानी में बेदखली का प्रकरण अन्तर्निहित नहीं है। मात्र आसामी पट्टे का समापन/निरसन का बिन्दु ही अन्तर्निहित है। तदनुसार उनका यह तर्क इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है। निगरानीकर्तागण के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि आसामी पट्टे का निरसन अधिनियम की धारा-198 (4) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा ही सम्पन्न हो भी अमान्य है क्योंकि सावधि आसामी पट्टे में यूं तो औपचारिक निरसन आवश्यक नहीं है। अवधि समाप्ति पर खतोनी की प्रविष्टि समाप्त कर दी जानी चाहिए। परन्तु ऐसा लम्बी अवधि तक न किये जाने के दृष्टिगत विधिवत् सुनवाई कर जानी चाहिए। परन्तु ऐसा लम्बी अवधि तक न किये जाने के दृष्टिगत विधिवत् सुनवाई कर जाना विधिसम्मत है। अधिनियम की धारा-198 (4) अनियमित पट्टावंटन से सम्बन्ध रखती है एवं वर्तमान प्रकरण में अनियमित पट्टावंटन का प्रकरण अन्तर्निहित नहीं है। एक सामान्य विधिक सिद्धान्त यह भी है कि जो कोई वस्तु, सेवा या सुविधा प्रदान करता है वह उसे वापस भी ले सकता है विशेष रूप से ऐसी वस्तु, सेवा अथवा सुविधा सावधि हो। आसामी पट्टावंटन धारा-197 से शासित है एवं ऐसा आंवटन धारा-197 (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट नियमावली से विनियमित एवं नियंत्रित है। तदनुसार नियम-176क (2) के अन्तर्गत आलोच्य कार्यवाही विधिसम्मत है।


### आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित भूमि प्रबंधक समिति निगरानीकर्तागण के द्वारा वर्षानुर्वर्ष अथवा 5 वर्ष की अवधि के आसामी पट्टे हेतु आवेदन किये जाने पर उनके आवेदन पर विधिवत् विचार करेगी एवं भूमि प्रबंधन समिति द्वारा आसामी पट्टावंटन प्रस्तावित किये जाने पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परंगनाधिकारी, रुड़की प्रस्ताव के अनुमोदन पर विधिवत् विचार कर निर्णय लेंगे। अवर् न्यायालय की पत्रावली वापस व इस न्यायालय पत्रावली सँचित हो।



(पी०एस०जंगपांगी)  
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 23-08-2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित।



(पी०एस०जंगपांगी)  
सदस्य(न्यायिक)।